बिहार सरकार

<u>अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त), नियमावली, 2014'' का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं आरंभ।–**

(1) यह नियमावली **"बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019** "कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **'बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त), नियमावली, 2014' के परिशिष्ट –1 का प्रतिस्थापन।–** उक्त नियमावली के **परिशिष्ट–1** को संलग्न **परिशिष्ट–'क'** से प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं उक्त नियमावली के विभिन्न कंडिकाओं में प्रयुक्त **परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–क** के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. **बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त), नियमावली–2014 की नियम– 5(2) का प्रतिस्थापन।–** उक्त नियमावली का नियम–5(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(2) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण–संवर्ग के सभी कोटि के पद/सदस्य–निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के परिचालनात्मक नियन्त्रण में होंगे एवं अपनी अधिकारिता के अधीन संवर्ग के सदस्यों पर, जिला कल्याण पदाधिकारी का परिचालानात्मक नियंत्रण होगा।''

4. **बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त), नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।–** उक्त नियमावली, 2014 का नियम 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"6. नियुक्ति एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया।– संवर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति इस संशोधित नियमावली के साथ संलग्न प्रतिस्थापित परिशिष्ट–क के कॉलम–5 के अनुसार होगी एवं पदों के नियुक्ति प्राधिकार परिशिष्ट–'क' के कॉलम 6 के अनुसार होंगे।

नियमित वेतनमान में आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त संवर्ग के विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में, उनके आश्रितों को तत्समय प्रवृत्त परिपत्रों एवं अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।''

5. **बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त), नियमावली, 2014 के नियम 10 का विलोपन।**– उक्त नियमावली, 2014 **का नियम** 10 एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

6. **बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त), नियमावली, 2014 के नियम 11 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली 2014 **का नियम 11** निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"**11. सम्पुष्टि।**– राजपत्रित एवं अराजपत्रित शिक्षकों की, परिवीक्षा **अवधि** में, सेवा संतोषजनक पाये जाने एवं हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण करने **के उपरांत**, संपुष्ट किया जाएगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.7.19

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–सं0सं0–2 / शिक्षा0स्था0–60–01 / 2014 1833 **पटना / दिनांक**– 10.07.19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीचन्द पटेल पथ, पटना / माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / निदेशक / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपनिदेशक (कल्याण) / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / विशेष सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / आई0टी0मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.7.19

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–सं0सं0–2 / शिक्षा0स्था0–60–01 / 2014 1833 **पटना / दिनांक**– 10.07.19

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0 डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

10.7.19

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट–क

क0 सं0	पदनाम	कोटि	अर्हता	नियुक्ति का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक शिक्षक (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित) ।	अराजपत्रित	इस पद पर नियुक्ति हेतु।– मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त के लिए 45 प्रतिशत) अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक/इंटमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से दो वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री एवं केन्द्र अथवा बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T) में उतीर्णता।	बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति।	निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण
2.	स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) ।	अराजपत्रित	1. स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पद पर नियुक्ति हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत) अंको के साथ विषय विशेष में स्नातक की डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 की डिग्री। 2. शारीरिक शिक्षक के लिए।– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत) अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण	1–बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 80 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। 2–शेष 20 प्रतिशत पदों को प्राथमिक शिक्षकों (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षत) से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।	निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण

क्र0 सं0	पदनाम	कोटि	अर्हता	नियुक्ति का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6
			संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अहर्त्ता का प्रमाण–पत्र। 3. संस्कृत शिक्षक के लिए।– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य या व्याकरण अथवा संस्कृत विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत) अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 की डिग्री। 4. कम्प्यूटर शिक्षक के लिए।– मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0टेक0 (कम्प्यूटरसाइंस)/बी0ई0 (आई0टी0)/एम0सी0ए0/एम0सी0 (आई0टी0)/बी0सी0ए0/बी0एस0सी (आई0टी0)। 5. संगीत/कला शिक्षक के लिए।– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से संगीत/ललितकला विषय में स्नातक –डिग्री अथवा उसके समकक्ष अर्हता। उपरोक्त वर्णित सभी कोटि के स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) (1),(2),(3) (4) एवं (5) के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा (S.T.E.T) में उतीर्णता भी अनिवार्य होगी।		

क0 सं0	पदनाम	कोटि	अर्हता	नियुक्ति का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6
3	प्रधानाध्यापक	राजपत्रित	1. प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए।– किसी विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री और 10 वर्षो का शिक्षण–अनुभव। अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के उम्मीदावारों के लिए 7 वर्षो का शिक्षण अनुभव। 2–प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए।– किसी विषय विशेष में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री और स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पद पर 10 वर्षो का शिक्षण अनुभव। अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के उम्मीदावारों के लिए 7 वर्षो का शिक्षण अनुभव आवश्यक होगा। 3. प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद की अनुशंसा से निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–2206 दिनांक–28.08.2017 के अनुसार प्रधानाध्यापक के पद को प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के रूप में एक ही पद में समाहित कर दिया गया है, जो राजपत्रित होगा । 4. जैसे–जैसे आवासीय विद्यालयों के आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास होता जायेगा तथा 10+2 कक्षा का संचालन होगा वैसे–वैसे उक्त आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद मरणशील होता जायेगा तथा प्राचार्य का पद प्रभावी होता जायेगा।	1–बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 20 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति। 2–शेष 80 प्रतिशत पद इस पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले स्नातक शिक्षक (प्रशिक्षित) से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	प्रधान सचिव/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण

क0 सं0	पदनाम	कोटि	अर्हता	नियुक्ति का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6
4	प्राचार्य	(राजपत्रित)	1- प्राचार्य के पद के लिये।– मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0एड0 की डिग्री। परन्तु जब तक प्रधानाध्यापक का पद पूर्णतः मरणशील नहीं हो जाता है तबतक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करने का दो वर्षो का अनुभव।	1. प्राचार्य का पद प्रोन्नति का पद होगा जो अपेक्षित योग्यताधारी प्रधानाध्यापक से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। नोटः– अपेक्षित योग्यताधारी प्रधानाध्यापक की अनुपलब्धता की स्थिति में हीं वैसे स्नातक सहायक शिक्षक जो लगातार 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों एवं वाँछित योग्यता धारण करते हों को प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जायेगा। 2. डाक्टरेट डिग्री धारण करने वाले/प्रधानाध्यापक /स्नातक सहायक शिक्षक को दो वर्षों की अधिमानता दी जाएगी।	सचिव/प्रधान सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।

10.7.19
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

सं0–2/शिक्ष0स्था0–60–01/2014...18334 अधिसूचना सं0..18337 दिनांक..10.07.19...का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.7.19

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव

Govt. of Bihar

SC & ST Welfare Department

Notification

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service conditions) Rules, 2014:-

1. **Short title, extent and Commencement:-**
   (i) These Rules may be called The Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service conditions) (Amendment) Rules, 2019.
   (ii) It shall extend to the whole of State of Bihar.
   (iii) It shall come into force at once.

2. **Substitution of Schedule-1 of Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service conditions) Rules, 2014**:- Schedule-1 of the said Rules shall be substituted by enclosed Schedule-A and schedule-1 Shall be substituted schedule –A uses in different paras of the said Rules.

3. **Substitution of Rule-5(2) of Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service conditions) Rules, 2014**:-Rule 5(2) of the said rules shall be substituted by the following:-

"(2) Operational Control:-Overall operational control of the posts of all categories of this cader will be under the Director SC&ST Welfare Department and District Welfare Officers will have operational control over these members under their respective jurisdictions."

4. **Substitution of Rule-6 of Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service conditions) Rules, 2014**:- Rule 6 of the said rules, 2014 shall be substituted by the following:-

"6. Procedure for appointment and promotions:- Appointment and promotion of different posts of this cadre will be in accordance with column-5 of the substituted schedule -A enclosed with these amended rules and the appointing authority of these posts will be according to column-6 of schedule -A.

In the event of death of a personnel so appointed to the different posts of the cadre in the regular pay scale appointment of their dependents may be made as per the instructions and effective circular enforced for the time being on the recommendation of the Commission,"

5. Omission of Rule-10 of Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service conditions) Rules, 2014:- Rule 10 of the said Rules, 2014 is hereby deleted.

6. Substitution of Rule-11 of Bihar Govt. Ambedkar Residential School Teachers (Appointment and Service conditions) Rules, 2014:- Rule 11 of the said Rules, 2014 shall be substituted by the following:-

"11.Confirmation- Services of Gazetted and non Gazetted teachers shall be confirmed after passing the Examination of Hindi Noting and Drafting on being found their services satisfactory in the probation period."

By order of the Governor of Bihar

10.7.19

(Prem Singh Meena)
Secretary to Government

Memo No-2/Teach.Esst.-60-01/2014- 1833 Patna/Dated- 10.07.19

Copy:-Accountant General, Bihar, Virchand Patel, Road, Patna./Hon'ble Minister, SC/ST Welfare Department, Bihar, Patna/All Departmental Principal Secretary/ Secretary/Director, SC/ST Welfare Department, Bihar, Patna./All Divisional commissioners/All District Magistrate/All Deputy Director Welfare/All Districts Welfare Officer/ Special Secretary/Deputy Secretary/Under Secretary/I.T Manager, SC/ST Welfare Department, Bihar, Patna, for information and further necessary action.

10.7.19

(Prem Singh Meena)
Secretary to the Government.
SC&ST Welfare Department,
Bihar, Patna.

Memo No-2/Teach.Esst.-60-01/2014- 1833 Patna/Dated- 10.07.19

Copy to Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna with CD & Hard Copy for Publication in next Gazette.

Please arrange 500 copy and send to SC&ST Welfare Department, Bihar, Patna.

10.7.19

(Prem Singh Meena)
Secretary to the Government.
SC&ST Welfare Department,
Bihar, Patna.

schedule -A

Sl. No.	Designation (post)	Category	Qualification	Source of Appointment	Appointing Authority
1	2	3	4	5	6
1	Primary Teacher (Intermediate Trained)	Non-Gazetted	For appointment on this post, Higher Secondary examination /Intermediate or Equivalent with minimum 50% marks(45% for SC/ST/EBC/BC and Disabled candidates) from recognized Educational Institution and 2 years Diploma in teachers training from the Institution recognized by NCTE or Graduate Degree in Primary Education. Passing in T.E.T Exam for primary teachers conducted by Centre or, Govt. of Bihar.	Direct Appointment by the Bihar Staff Selection Commission.	Director, SC&ST Welfare Department.
2	Graduate Assistant Teacher (Trained)	Non-Gazetted	**For Graduate Assistant Teacher (Trained):-** For appointment on this post- Graduate Degree in Special Subject with minimum 50% marks(45% for SC/ ST/ EBC /BC and Disabled candidates) from any recognized university and having B.ed Degree from Training Institution recognized by National Council for Teachers Education. 2- **For Physical Teacher:-** For appointment on this post, Graduate Degree in any Subject with minimum 50% marks(45% for SC/ ST/ EBC/ BC and Disabled candidates) from any recognized university and having Graduate Degree in Physical Education or Certificate of equivalent qualification from Training Institution recognized by National Council for Teachers Education. 3- **For Sanskrit Teacher:-** For appointment on this post, or certified of equivalent qualification. Graduate Degree in Acharya/Grammar or Sanskrit Subject with minimum 50% marks(45% for SC/ST/EBC/BC and Disabled candidates) from any recognized University and having B.ed Degree from Training Institution recognized by National Council for Teachers Education.	1- Direct appointment on 80% Posts through the Bihar Staff Selection Commission. 2- Rest 20% Posts shall be filled up through promotion on the basis of Seniority and merit from those holding the post of Primary Teacher (Intermediate Trained).	Director, SC&ST Welfare Department.

Sl. No.	Designation (post)	Category	Qualification	Source of Appointment	Appointi. Authority
1	2	3	4	5	6
			4- **<u>For Computer Teacher:-</u>** B.Tech (Computer Science)/ B.E(IT)/ MCA/ M.sc(IT)/ BCA/ B.sc(IT) from recognized Institution. 5- **<u>For Music/Art Teacher:-</u>** For Graduate Degree or equivalent qualification in Music/ Lalit kala (Fine Art) from recognized University or Board/Institution. Passing also in State Teacher Eligibility Test Exam for Secondary Teacher conducted by Bihar School Examination Board shall be compulsory for Graduate Assistant Teacher (Trained) (1), (2), (3), (4) and (5) of all category mentioned above.		
3	Head Master	Gazetted	**1-** For direct appointment on the post of Head Master- Post Graduate Degree in any special subject from recognized Institution with B.ed Degree from Institution recognized by National Council for Teacher Education and 10 years teaching experience (For SC and ST Candidates, 7 years of Teaching experience. **2-** For promotion to the post of Head Master- Graduate Degree in any special subject from recognized Institution along with B.ed Degree from Institution recognized by NCTE and 10 years Teaching experience on the post of Graduate Assistant Teacher (Trained) (For SC and ST Candidates, 7 years of Teaching experience is essential). **3-** The post of Head Master has been merged into single post as the Head Master/ Principal, wgich shall be Gazetted post, as per the sanctioned order no- 2206 dated-28.08.2017 issued after recommendation of Administrative Pad-Varg Committee and the Cabinet.	Direct appointment on 20% posts through BPSC. 2- Rest 80% posts shall be filled up through promotion on the basis of seniority and merit from those Graduate Teacher (Trained) who are eligible for appointment on this post.	Secretary /Principal Secretary, SC&ST Welfare Department

Sl. No.	Designation (post)	Category	Qualification	Source of Appointment	Appointing Authority
1	2	3	4	5	6
			4- Gradually, the post of Head Master in the aforesaid Residential Schools shall become dying and the post of Principal become effective with the development of necessary infrastructure and classes up to 10+2 shall be conducted.		
4	Principal	Gazetted	1- For the post of Principal- Post Graduate Degree from recognized Institution along with M.ed Degree from Institution recognized by NCTE. Working experience of 2 years on the post of Head Master unless it is dying completely.	1. Post of Principal shall be promotional post which shall be filled up by promotion from Head Masters having requisite qualifications. **Note-** Only In case of non-availability of Head Masters having requisite qualifications only such Graduate Assistant Teachers, who have completed their service of 15 years without break-up and having requisite qualifications, shall be considered for promotion to the post of Principal. Preference of 2 years will be given to the Head Master/Graduate Assistant Teacher having Doctorate Degree.	Secretary /Principal Secretary, SC&ST Welfare Department

10.7.19.

(Prem Singh Meena),

Secretary to the Government.